29

22

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कैम्प रीवा म0प्र0

निगरानी 304-III-15

COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

16
14-1-15

(1) गनपत कोल तनय पोला कोल निवासी मोहरिया तह0 मझौली
जिला सीधी म0प्र0

(2) बृजसेन शर्मा तनय स्व0श्री तीरथप्रसाद शर्मा निवासी ग्राम मोहरिया
तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0 --- रिवीजनकर्तागण

बनाम

1. बाबूलाल पिता बालू कोष्टार निवासी ग्राम मोहरिया उप तह0 मध्वास तह0
(मझौली) जिला सीधी म0प्र0
--गैर रिवीजनकर्ता/अना0गण

2. म0प्र0शासन

श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी एड के द्वारा आज दिनांक 14-01-15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आज्ञा श्री तहसीलदार उपतहसील मध्वास तहसील मझौली जिला सीधी म0प्र0 बावत प्र0क्र0 40 ए/2012-2013 -2014 आदेश दि. 17.11.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-रा.सं. सन् 1959ई0

क्रमांक 4399
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक ______ को प्राप्त।

न्यायवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है:-

सर्क्स ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालय का सीमांकन कार्यवाही एवं आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत है।

(2) यह कि आवेदकगण आ.नं. 27 के मालिक काबिजदार राजस्व अभिलेख है, जो सीमांकित भूमि के सीमा पर है किन्तु आवेदकगणों को किसी भी तरह से पक्षकार नहीं बनाया और न ही किसी तरह से सूचना व जानकारी ही दिया। जबकि कानूनी रूप से धारा 129 म0प्र0भू-राजस्व संहिता के तहत किसी भी सर्वेक्षण सँख्या या उपखण्ड या भूखण्ड सँख्यांक का सीमांकन के लिए नियम बनाये गये है जिसनियम

14/01/15

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 304–तीन/15 जिला – सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–07–17	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार हनुमना वृत्त पहाड़ी तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 40/अ–12/13–14 में पारित आदेश दिनांक 17–11–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति को सुनकर विस्तृत विवेचना कर निराकरण करने के उपरांत सीमांकन आदेश पारित किया है। सीमांकन से किसी प्रकार के स्वत्व का अर्जन नहीं होता है। आवेदक चाहे तो स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	